

Date: - 22.10.2024

To,

Nodal Officer
FCA, Aranya Bhawan,
Jaipur

Sub.:- Compliance report of received EDS Letter regarding Diversion of 0.1685 ha. forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Proposal No.: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Ref.:- Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Integrated Regional Office, A-218 & B-216, " ARANYA BHAWAN" Jhalana Institutional Area, Jaipur (Rajasthan) Letter No. 8B/Raj/06/16/2020/FC Date: 24th November, 2021

Sir,

With Reference to above mentioned subject, we are herewith submitting the point wise reply for your reference and further Processing Please.

S.N.	EDS Raised by MoEF & CC	Reply by User Agency
1.	Incomplete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has been submitted, as the records of consultation and meetings at the Sub-Divisional Level Committee and Gram Sabha level have not been submitted along with the compliance.	The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has been introduced and meetings at sub-divisional level committee and gram Sabha level have been introduced earlier. (Copy Enclosed)
2.	In the record of meeting held at the District Level Committee, no non-official member of the District Level Committee has been found to have attended the meeting. That is, the decision seems to have been taken by an incomplete quorum of the District Level Committee.	The meeting of the District Level Committee has been constituted under the chairmanship of the District Collector. (Copy Enclosed)
3.	Thus, it is requested to submit the complete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006	Complete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has been submitted. (Copy Enclosed)

उक्त के क्रम में निवेदन है कि जिला कलेक्टर 20/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र कोविड-19 के दौरान जारी किया गया था जिसमें कोई अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो सका। वनाधिकार नियमानुसार जारी किया गया है। जिसमें अन्य सभी सदस्य मौजूद थे। कृपया अनुरोध है कि उक्त वनाधिकार प्रमाण-पत्र को मानने का कष्ट कराने एवं विधिवत स्वीकृति जारी करने का कष्ट करावें।

For Nayara Energy Limited*


Authorised Signatory
PRABHAKAR MAHESHWARI
DIVISIONAL MANAGER-BD
JODHPUR

Signature of User Agency
with Official Seal

Office Of The District Collector and District Magistrate
Hanumangarh (Rajasthan)

No. F.21()() NOC/Jud./2020/ 17625

Date: 20/10/2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.- 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.1685 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Nayara Energy Limited for Construction of Approach Road for Proposed **Proposed Private Industrial Property of** Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone- 209+390 to 209+430(RHS) Pather no 40/247(56) kila no 21,22 &23 at Village 7 BLW, Tehsil Pilibanga, District Hanumangarh.

It is further certified that :-

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1685 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub- Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure ...
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above



Collector & District Magistrate
Hanumangarh (Rajasthan)

No. F.21()() NOC/Jud./2020/ 17626-27

Date: 20/10/2020

Copy to :-

- DCF Hanumangarh.
- Smt. Suman W/o Perm Kumar, House No 8, Gali No 1, Vikas Nager, Sri Ganganager (Rajasthan)

Add. Collector & Add. District Magistrate
Hanumangarh (Rajasthan)

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

क्रमांक:- एफ 21() () एनओसी/न्याय/2020/11163

दिनांक :- 08/10/2020

:- बैठक कार्यवाही विवरण :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/राज/06/22/2015/एफ.री./200 दिनांक 02.06.2015 एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) के पत्रांक प.6 (14)प्रसू/अनु-3/2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में दिनांक 06.10.2020 को 12 पी.एम. पर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति के संबंध में जिला स्तरीय समिति हनुमानगढ़ की बैठक जिला कलक्टर कक्ष में रखी गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुए :-

1. जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़।
4. उपवन संरक्षक हनुमानगढ़।

उक्त बैठक में प्रस्तावित वन भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62 पर स्थित चक 7 बीएलडब्ल्यू के प0न0 40/247, कि0न0 21/0.026 हैक्टेयर, 22/0.228 हैक्टेयर कुल 0.254 हैक्टेयर भूमि पर नायरा एनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लिमिटेड) जोधपुर द्वारा रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) लगाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) पर वाहनों के आवागमन हेतु 0.254 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव के संबंध में जिले के उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा एवं ग्राम पंचायत खोथावाली तहसील पीलीबंगा की गठित कमेटी से प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण के आधार पर लिये गये निर्णय अनुसार हनुमानगढ़ जिले के अधीनस्थ वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकारों हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है।

अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62 पर स्थित चक 7 बीएलडब्ल्यू के प0न0 40/247, कि0न0 21/0.026 हैक्टेयर, 22/0.228 हैक्टेयर कुल 0.254 हैक्टेयर भूमि पर नायरा एनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लिमिटेड) जोधपुर द्वारा रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) लगाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 62 से रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) पर वाहनों के आवागमन हेतु कुल 0.254 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में प्रस्ताव की सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंषा की जाती है।

उपवन संरक्षक
हनुमानगढ़
(सदस्य)

अतिरिक्त जिला
कलक्टर हनुमानगढ़
(सदस्य)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद हनुमानगढ़
(सदस्य)

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
(अध्यक्ष)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पीलीबंगा

क्रमांक:-

दिनांक:-17.09.2020

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के पत्रांक एफ.17 00न्याय/विविध/2020/15311 दिनांक 04.09.2020 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 17.09.2020 को उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया बैठक में उपस्थित अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है।

1. उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
2. विकास अधिकारी पीलीबंगा
3. क्षेत्रिय वन अधिकारी पीलीबंगा

बैठक में जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ के विचाराधीन प्रकरण मुरब्बा नम्बर 6, प. न.40/247 किनन.21,22,0 23 गांव 7 बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ पर नया रिटेल आडटलेट (पट्रोल पम्प) एवं मु.न.55 किपन.21 ता 25 चक बीएलडब्ल्यू नजदीक जी.आर ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ पर निर्माण इकाई (बायो डीजल) स्थापित करने बाबत के संबंध में चर्चा की गई क्षेत्रिय वन अधिकारी पीलीबंगा के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्रीमती सुमन पत्नी प्रेमकुमार की प्रस्तावित भूमि व सडक के मध्य 00.1685 है. एवं director Juggler HAWK ind pvt ltd की प्रस्तावित भूमि के मध्य 0.2239 है. वन भूमि है जिसका गजट नोटिफिकेशन राजस्व विभाग द्वारा **protected Forest** है। प्रस्तावित भूमि वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी दावे लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है। इस बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकारी के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विकास अधिकारी पीलीबंगा द्वारा अवगत करवाया गया कि उपरोक्त के संबंध में ग्राम सभा प्रस्ताव दिनांक 17.09.2020 प्रस्ताव संख्या 03 लिया गया। जिसमें अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंसा की गई। जिसकी कार्यवाही संलग्न है।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

क्षेत्रिय वन अधिकारी
पीलीबंगा

विकास अधिकारी
पंचायत समिति
पीलीबंगा

(प्रियंका तलानिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पीलीबंगा

कार्यालय ग्राम पंचायत खोथावाली पंचायत समिति पीलीबंगा

क्रमांक :- ५००

दिनांक- 17-9-20


श्रीमान् विकास अधिकारी,
पंचायत समिति पीलीबंगा।

विषय- ग्राम सभा प्रस्ताव दिनांक 17.09.2020 प्रस्ताव संख्या 03 के संबंध में ।

आज दिनांक 17.09.2020 को ग्राम सभा बैठक का आयोजन सरपंच श्रीमति सुशीला की अध्यक्षता में आयोजित की गई उक्त गाम सभा में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के निम्नांकित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया जिसकी कार्यवाही निम्नानुसार है ।

9. श्रीमति सुशीला	सरपंच अध्यक्ष	
10. श्री सुशील कुमार	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
11. श्री अर्मतपाल	कृषि प्रवेक्षक	सदस्य
12. श्री सतेन्द्रपालसिंह	प्राचार्य	सदस्य
13. श्री कलवंतसिंह	उपसरपंच	सदस्य
14. क्षेत्रीय वन अधिकारी		सदस्य
15. श्री मति अर्मतपाल कौर	कार्यकर्ता	सदस्य
16. श्री नीकुराम	राजस्व पटवारी	सदस्य

आज की बैठक में श्रीमति सुमन पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट साकिन चक विकास नगर श्रीगंगानगर द्वारा मुरबा न० 56 पत्थर न० 40/247 किला न० 21 से 23 चक 7 बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर नया रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने व मुरबा न० 55 किला न० 21 ता 25 चक 7 बीएलडब्ल्यू में बायोडीजल इकाई स्थापित करने हेतु अनापति प्रमाण-पत्र चाहा है। उक्त दोनों तरफ रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्पसंगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है उक्त जगह पर कोई उक्त वन भूमि में पेड नहीं है सूखे घास व छोटी मोडी झांडिया है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का आवास नहीं है न ही कोई आवासीय क्षेत्र आवासीय क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत निवासी क्षेत्र प्रभावित करता है । उक्त प्रावधानों के संबंध में ग्राम पंचायत खोथावाली पंचायत समिति पीलीबंगा के द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुषाशा श्रीमान जी को अग्रिम कार्यवाही प्रेषित है।


सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोथावाली
पंचायत समिति पीलीबंगा


सुशीला
सरपंच
श्रीमती सुशीला
ग्राम पंचायत खोथावाली
सरपंच
ग्राम पंचायत खोथावाली
पंचायत समिति, पीलीबंगा

कार्यालय पंचायत समिति पीलीबंगा, जिला परिषद् हनुमानगढ़

क्रमांक:-पं.सं.पी/पं.शा./2020/

दिनांक:-

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
जिला हनुमानगढ़।

विषय :- मुरब्बा नं.56, प0न0 40/247, कि0न0 21,22 व 23 गांव 7 बी.एल.डब्ल्यू, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर नया रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) एवं मु0 न0 55 कि0न0 21 ता 25 चक 7 बी.एल.डब्ल्यू, नजदीक जी. आर. ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर निर्माण इकाई (बायो डीजल)स्थपित करने के संबंध में ग्राम सभा बैठक आयोजन करने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान जी के कार्यालय पत्रांक 16018 दिनांक 04.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आवेदक श्रीमती सुमन पत्नी श्री प्रेम कुमार निवासी नया चक विकास नगर श्रीगंगानगर के द्वारा मुरब्बा नं.56, प0न0 40/247, कि0न0 21,22 व 23 गांव 7 बी.एल.डब्ल्यू, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर नया रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) स्थापित करने एवं आवेदक Director juggler Hawk Ind. Pvt. Ltd. श्री गंगानगर द्वारा मु0 न0 55 कि0न0 21 ता 25 चक 7 बी.एल.डब्ल्यू, नजदीक जी. आर. ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर निर्माण इकाई (बायो डीजल)स्थपित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा है, उक्त दोनों रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आप द्वारा संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायत में ग्राम सभा बैठक आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

श्रीमान जी निर्देशो की पालना में ग्राम पंचायत खोथावाली द्वारा ग्राम सभा बैठक का आयोजन कर लिया गया है बैठक कार्यवाही विवरण सलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलग्न:- ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण।

क्रमांक:-पं.सं.पी/निर्माण शाखा/2020/ 6160

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ सादर प्रेषित है-

1. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, पीलीबंगा।

(विनोद कुमार रैगर)

RDS

विकास अधिकारी

पंचायत समिति पीलीबंगा

दिनांक:- 17-09-2020

(विनोद कुमार रैगर)

RDS

विकास अधिकारी

पंचायत समिति पीलीबंगा

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/ उप समिति खोखावाली

बैंच पीलोबागा

जिला हनुमानगढ़

(राज.) वर्ष 2022

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/ सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह
1	2	3	4		6
17-9-20	पंचायत घर	श्रीमति सुशीला		<p>कार्यवाही क्रमांक 19/19/20 को ग्राम पंचायत खोखावाली में विद्युत बैंक उपपिन कलेक्टर मोहम्मद इकबाल को 16/8 दिनांक 14-9-20 को अनुमति में कामादि की गरी उपपिन लुट को नुक़्त की विद्युत बैंक के कामादि बाबत सर्वप्रथम अथवा का (प्राप्त) गया कि काम की बैंक में N.T. सुदवा में गगाना का क्षेत्र में चक 36M07, 37M0D, 38M0D, 40LW, 7B, LW. व अन्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत खोखावाली के क्षेत्राधिकार में कामादि उक्त क्षेत्र में जो का बैंक इकाई पम्प व अन्य कामादि दुधु का सप्लाय किया जा रहा है। ग्राम सुवा में लोग की राय के अन्वय पर कापवाही हेतु बैंक का कामादि किया जा रहा है।</p> <p>पहाय सब काम की बैंक में शीमान उपपिन कलेक्टर मोहम्मद द्वारा एक प्रस्ताव के</p>	
				<p>अनुसार चक 7B2W में सुमन पत्नी उमरुका के द्वारा उक्त नया रिटेल पम्प काइरलेट का निर्माण पं.र. ग्लोबल इंजनी के पास कापवाही परंपरा है उक्त प्रस्ताव का कापवाही बैंक कार्यवाही में रखा गया कि बैंक में अद्यपि मंडल्य श्रीमति सुशीला सर्वप्रथम एवं ग्राम पंचायत के वाइस चैर व प्रतीति के उक्त नया रिटेल पम्प काइरलेट के बारे में प्रस्ताव की राय अहम में चक के उपपिन सर्व एकादि समिपति किया गया कि राउडिंग राधमा के क्षेत्र तक वन डुमी व अनुमति जन जाति की दुमी में कोरनी व्यती प्रवास नही कर रहे है ना ही इस राउडिंग राधमा पर कोरनी वन डुमी में कोरनी प्रियापी प्रवास नही कर रहे है। अतः उक्त स्थान पर नया रिटेल काइरलेट (पम्प काइरलेट) का निर्माण के वाय जात पर प्रियापी नही वन डुमी व अन्य प्रियापी का कोरनी अनुमति नही होगा विभागीय निर्माण उक्त उक्त नया रिटेल काइरलेट (पम्प काइरलेट) में अनुमति दी जावी अन्वय है काइरलेट सदन में प्रियापी प्रियापी उक्त नया रिटेल पम्प के लक्षण प्रक है परंपरा का कोरनी अनुमति नही होगा पम्प संचालक द्वारा</p>	

प्रस्तावित


सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोखावाली
पंचायत समिति पीलोबागा

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

यत/ उप समिति खोथवाली बेंच पीलीबंगा जिला झुझारगढ़ (राज.) वर्ष 2020-21

क्र होने दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
20	खोथवाली	सुशील		<p>नमूने उपपत्र का लगीक सार सम्प्राप्त करी अचर है। पत्रक सं 2</p> <p>काणकी बैठक में कायदापत्री अधिका सार्वजनिक सड़क निर्माण विभाग द्वारा कीकार द्वारा ग्रामपंचायत के शाखाधिकारी में वन भूमि की विपथन का अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र जारी उपपत्र मोडूरुम उदा प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के अनुसार सुनवाई से गंगोलीगढ़ में में वन भूमि के विपथन के बारे में सुनवाई के अवगत में जाया गया कि उक्त सड़क के द्वारा उक्त भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं कर रहे हैं। कारनाही कोई वन या पेड़ समुह पर कोई भी उक्त सड़क पर प्रभु स्थापित नहीं है। कोई पेड़ की कटाव करी होगी, बाड़ दिवार कि सड़क स्थिति से पंचायत बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि राधानगर कोट में</p>	<p>सुशील</p> <p>अचर</p> <p>कायदापत्री</p> <p>अधिका</p> <p>पत्रक सं 5</p> <p>अचर</p> <p>पत्रक सं 4</p> <p>सुशील</p> <p>पत्रक सं 12</p> <p>अचर</p> <p>पत्रक सं 13</p>
				<p>कोई वन भूमि दर्ज नहीं है कोट का भी उक्त भूमि में कोई वनवासी निवास कर, राधा को उक्त काणकी ग्राम सभा में कोटों द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि राधानगर शाखाधिकारी के द्वारा सुनवाई करी वनवासी नहीं है। उक्त भूमि की विपथन का प्रस्ताव सर्व सहमति से अनुमति दिया जाना है। उक्त राधानगर कोट में सुनवाई कर उपपत्र कि उक्त पत्र पर ग्रामपंचायत का सर्व सहमति है।</p> <p>ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कायदापत्री</p>	<p>गौमती</p> <p>अचर</p> <p>सुशील</p> <p>अचर</p> <p>पत्रक सं 1</p> <p>अचर</p>
				<p>आपदिनांक 16-9-20 को ग्राम पंचायत कायदापत्री खोथवाली में वन कायदापत्री अधिका 2006 के अनुच्छेद में उक्त बैठक का आयोजन किया गया निम्न निम्न कि सदस्य उपस्थित हुए</p>	
				<ol style="list-style-type: none"> 1. सीमति सुशील सरपंच अचर 2. सुशील अधिका गांवि अधिका अधिका 3. नरेश राधानगर अधिका 4. सुनील पाल सिंह प्राचार्य 5. दीपक वन अधिका 6. अचर पाल सिंह 7. अचर अधिका 	

अचर



सुनील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोथवाली
पंचायत समिति पीलीबंगा

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/ उप समिति खोथावाली बेंच पीलीबंगा जिला एडमोरा (राज.) वर्ष 2022


बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4		6
				<p>करीब 10-15 लोगों की उपस्थिति में बैठक के माध्यम से ग्राम पंचायत के कार्य पर चर्चा की गई। सड़क की बनावट, ग्राम में मिट्टी का उचित प्रयोग, पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन की कार्यवाही, पंचायत समिति स्तर से ही होनी चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यवाही में ध्यान देना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर नगरपालिका के कार्य स्वीकार करने का निर्णय किया गया।</p> <p>9 फरवरी 2022</p>	
				<p>ग्राम की बैठक में सरपंच महोदय द्वारा आवगत कागजात कि. म. ल. के माध्यम से सीमाना विवाद में भी ध्यान देना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर नगरपालिका में वीलीवाल खेती करने वाले किसानों को भी ध्यान देना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर नगरपालिका के कार्य स्वीकार करने का निर्णय किया गया।</p>	<p>मंजु कांफेंस</p>
				<p>क्याक 27-45-49 दिनांक 10-9-20 को जारी हो चुकी है। इसके कार्य की तत्काली स्वीकृति जारी करवाकर ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य स्वीकृति प्रस्तुत करना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर नगरपालिका के कार्य स्वीकार करने का निर्णय किया गया।</p>	<p>गौमती</p>
				<p>सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पंचायत समिति पीलीबंगा</p>	<p>सुशील श्रीमती सुशीला सरपंच ग्राम पंचायत खोथावाली पंचायत समिति, पीलीबंगा</p>
				<p>सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पंचायत समिति पीलीबंगा</p>	


बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/उप समिति खोथावाली बेंच पीलीवाली जिला राजसूरी (राज.) वर्ष 2020

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4		6
				<p>करीब 10:30 को ग्राम पंचायत समिति की बस पर बैठकर गाँव पंचायत ले जाकर बैठे। साँझ को बस छोड़ी। गाँव में मिट्टी उखाने पंचायत समिति स्तर पर प्रस्तावित की गई है। मिट्टी में समस्त कार्यवाही पंचायत समिति स्तर से ही होनी है। गाँव पंचायत स्तर से कोई कार्य नहीं करना है। मिट्टी उखाने सीमान्त विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च बांधू माण्डरानि विभाग प्रायोजित प्रस्ताव मिट्टी उखाने पर नगरपालिका के कार्य स्वीकृति बाँध कर कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>प्रस्ताव संख्या 6</p> <p>गाँव की बैठक में सरपंच मोहनदास द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के अन्तर्गत गाँव पंचायत में सीमान्त विकास कार्यवाही के अन्तर्गत उच्च बाँधू माण्डरानि विभाग प्रायोजित प्रस्ताव मिट्टी उखाने पर नगरपालिका के कार्य स्वीकृति बाँध कर कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>मंजूर</p> <p>कौशिक</p>
				<p>दिनांक 27-45-49 दिनांक 10-9-20 को जमीन का करीब 10:30 को ग्राम पंचायत की तस्वीरों की जाँच कर जमीन का कर कर देना। उपरोक्त कार्य स्वीकृति प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यवाही की जायेगी। उच्च बाँधू माण्डरानि विभाग प्रायोजित प्रस्ताव मिट्टी उखाने पर नगरपालिका के कार्य स्वीकृति बाँध कर कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>गोमती</p>

सुशीला
 श्रीमती सुशीला
 सरपंच
 ग्राम पंचायत खोथावाली
 पंचायत समिति, पीलीवाली


 सुशील कुमार
 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत खोथावाली
 पंचायत समिति, पीलीवाली


 सुशील कुमार
 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत खोथावाली
 पंचायत समिति, पीलीवाली